भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2900

मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया योजना

2900. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टार्टअप इंडिया योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के प्रारंभ से अब तक पूरे देश में इसके अंतर्गत किए गए पंजीकरणों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अनुमोदित, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के किन-किन राज्यों में अधिकतम संख्या में स्टार्टअप शुरू किए गए हैं या शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में उक्त योजना के अंतर्गत कितने पंजीकरण किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसे 16 जनवरी, 2016 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में नवप्रयोग, स्टार्टअप को विकसित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मज़बूत ईकोसिस्टम बनाना है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कार्य-योजना की शुरुआत की है, जिसमें देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित स्कीमें और प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्य-योजना में "सरलीकरण और सहायता", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योगजगत-अकादमिक क्षेत्र की साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों की 19 कार्य मदें शामिल हैं।

(ख): देश में स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) ताकि स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सभी क्षेत्रों के लिए फंडिंग के अवसर और सहायता प्रदान की जा सके।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है और यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। 31 जनवरी, 2026 तक, इस स्कीम के तहत 12,362.70 करोड़ रुपए की कुल प्रतिबद्धता (सकल प्रतिबद्धता) जताई गई है और सहायता प्राप्त एआईएफ द्वारा 6,829.47 करोड़ रुपए का वितरण/निकासी की जा चुकी है। एआईएफ को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल प्रतिबद्ध और वितरित राशि **अनुबंध-II** में दी गई है।

एसआईएसएफएस इनक्यूबेटरों के माध्यम से प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएफएस 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। 31 जनवरी, 2026 तक स्कीम के तहत चुने गए इन्क्यूबेटर्स को 945 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए तथा 575 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इन्क्यूबेटर्स के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमोदित और वितरित राशि का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

सीजीएसएस को, पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। सीजीएसएस राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है और 1 अप्रैल, 2023 से प्रचालन में है। 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत, स्टार्टअप उधारकर्ताओं को 925.90 करोड़ रुपए की ऋण-राशि की गारंटी प्रदान की गई है। स्टार्टअप उधारकर्ताओं को प्रदान की गई ऋण-राशि की गारंटी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(घ): देश में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, पिछले तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2023, 2024, और 2025 के दौरान राजस्थान राज्य में 4616 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2900 के भाग (ख) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2026 तक स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	93
आंध्र प्रदेश	4004
अरुणाचल प्रदेश	88
असम	2063
बिहार	4745
चंडीगढ़	670
छत्तीसगढ़	2302
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	90
दिल्ली	20287
गोवा	783
गुजरात	18195
हरियाणा	11004
हिमाचल प्रदेश	782
जम्मू और कश्मीर	1446
झारखंड	1996
कर्नाटक	21601
केरल	8267
लद्दाख	25
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	7071
महाराष्ट्र	36782
मणिपुर	258
मेघालय	91
मिजोरम	64
नागालैंड	115
ओडिशा	3678
पुदुच्चेरी	225

पंजाब	2368
राजस्थान	7698
सिक्किम	18
तमिलनाडु	14099
तेलंगाना	11743
त्रिपुरा	200
उत्तर प्रदेश	20734
उत्तराखंड	1743
पश्चिम बंगाल	6952
कुल	**212283**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2900 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2026 तक एफएफएस के तहत एआईएफ द्वारा प्रतिबद्ध और वितरित/निकासी की राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**एआईएफ के लिए प्रतिबद्ध राशि (सकल प्रतिबद्धताएं)**	**एआईएफ द्वारा वितरित/निकासी की गई राशि**
असम	25.00	22.030
दिल्ली	1,099.00	761.103
गुजरात	150.00	116.331
हरियाणा	176.00	85.793
कर्नाटक	3,105.75	1,597.558
महाराष्ट्र	6,801.95	3,581.872
राजस्थान	20.00	-
तमिलनाडु	705.00	480.524
तेलंगाना	280.00	184.255
कुल	**12,362.70**	**6,829.47**

*****

अनुबंध-III

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2900 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2026 तक एसआईएसएफएस के तहत इन्क्यूबेटरों को स्वीकृत और वितरित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इन्क्यूबेटरों को स्वीकृत राशि	इन्क्यूबेटरों को वितरित राशि
आन्ध्र प्रदेश	29.40	17.37
असम	12.60	5.04
बिहार	18.90	10.79
छत्तीसगढ़	3.15	2.16
दिल्ली	51.45	27.08
गोवा	15.54	11.69
गुजरात	81.38	46.85
हरियाणा	21.00	13.40
हिमाचल प्रदेश	13.65	6.96
जम्मू और कश्मीर	5.25	2.10
झारखंड	4.20	1.68
कर्नाटक	104.48	62.61
केरल	18.90	14.48
मध्य प्रदेश	26.25	16.41
महाराष्ट्र	120.75	74.31
मिजोरम	4.20	1.99
नागालैंड	7.35	3.57
ओडिशा	39.38	21.96
पुदुच्चेरी	8.40	8.35
पंजाब	44.10	25.78
राजस्थान	54.60	35.31
सिक्किम	3.15	2.17
तमिलनाडु	96.34	57.90
तेलंगाना	71.35	48.36
उत्तर प्रदेश	68.25	42.39
उत्तराखंड	13.65	8.27
पश्चिम बंगाल	7.35	6.02
कुल	**945**	**575**

*****

अनुबंध-IV

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2900 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2026 तक सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप उधारकर्ताओं को गारंटीकृत ऋण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गारंटीकृत ऋण की राशि
आंध्र प्रदेश	1.50
असम	13.97
बिहार	0.28
चंडीगढ़	0.15
छत्तीसगढ़	0.65
दिल्ली	65.41
गुजरात	119.83
हरियाणा	128.39
जम्मू और कश्मीर	7.00
कर्नाटक	104.52
केरल	35.00
मध्य प्रदेश	10.80
महाराष्ट्र	187.61
ओडिशा	4.50
राजस्थान	18.50
तमिलनाडु	84.60
तेलंगाना	26.08
उत्तर प्रदेश	65.35
उत्तराखंड	10.00
पश्चिम बंगाल	41.75
कुल	**925.90**

*****